न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु

पीठासीन अधिकारी श्री कल्पित शिवरान, आर.ए.एस

मुकदमा संख्या 94/2025 | दिनांकः—08.12.2025

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थी
1. पूनमाराम पुत्र कानाराम 2. चूनाराम पूत्र कानाराम 3. घनश्याम पुत्र कानाराम 4. कानाराम पुत्र खेराजराम 5. भगवती पत्नी नन्दराम जाति जाट, निवासी बायतु भोपजी, तहसील बायतु जिला बालोतरा।		1. उगाराम पुत्र हिमथाराम 2. चूनाराम पुत्र हिमथाराम 3. देदाराम पुत्र हिमथाराम 4. रावताराम पुत्र हिमथाराम जाति जाट निवासी मालदेता, गिड़ा तहसील गिड़ा जिला बालोतरा। 5. अगरकंवर पत्नी भंवरसिंह 6. खेतसिंह पुत्र गजेसिंह 7. नरपतसिंह पुत्र भंवरसिंह 8. भूरसिंह पुत्र गजेसिंह 9. मांगसिंह पुत्र गजेसिंह 10. लुणसिंह पुत्र भंवरसिंह 11. सायर कंवर पत्नी गजेसिंह जाति राजपूत निवासी गोगासर, गिड़ा तहसील गिड़ा जिला बालोतरा। 12. तहसीलदार गिड़ा जिला बालोतरा।

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

आवेदन अन्तर्गत धारा 251 —क (1) रा.का.अधिनियम

Application for permission under sub-section (1) pf section 251-A of the Rajasthan tenancy Act, 1955

उपस्थिति :— 1. श्री रामचन्द्र सऊ अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से

2. श्री घमण्डाराम अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 01 की ओर से

दिनांकः—08.12.2025

आदेश

प्रार्थी ने अपने खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 394/355 रकबा 19.4249 हेक्टेयर मौजा गोगासर पटवार मण्डल गिड़ा तहसील गिड़ा में ग्रेवल सड़क से अपने खेत तक आने जाने के लिए विप्रार्थी स. 01 से 04 के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 395/355 व विप्रा[illegible] से 11 के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 356 में से होकर 10—10 कुल 20 फीट चौड़ा रास्ता क्रमशः [illegible] से 04 व विप्रार्थी संख्या 05 से 11 के खातेदारी खेतों के सेढा [illegible] रास्ता [illegible] कर खुलवाने हेतु यह आवेदन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (क) की उपधारा (1) [illegible] अन्तर्गत इस न्यायालय में पेश किया। प्रार्थी का आवेदन दर्ज कर विप्रार्थीगणो को जरिये नोटिस वास्ते जवाब तलब किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2026.02.10 21:17:59 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

विप्रार्थी संख्या 01 की ओर से वकील श्री घमण्डाराम उपस्थित होकर अण्डरटेकिंग ली गई। विप्रार्थी संख्या 01 के अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा व जवाब पेश नही किया गया, पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त वकालतनामा पेश नही किये जाने एवं विप्रार्थीगण संख्या 02 व 11 बावजुद सुचना अनुपस्थित रहने से उनके विरुद्व एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई।

प्रकरण में मौका रिपोर्ट उपलब्ध कराने हेतु तहसीलदार गिड़ा को लिखा गया। मौका रिपोर्ट निरीक्षक भू अभिलेख गिड़ा द्वारा दिनांक 27.06.2025 को पटवारी हल्का गिड़ा के साथ मौका स्थल का निरीक्षण किया तथा अपने प्रतिवेदन में उल्लेख किया कि प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 394/355 मे आने–जाने हेतु उससे लगते हुए विप्रार्थी स. 01 से 04 के संयुक्त खातेदारी खेत खसरा नम्बर 395/355 व विप्रार्थी स. 05 से 11 के संयुक्त खातेदारी खेत खसरा नम्बर 356 में से होकर के सहारे बनी बिना कटाण ग्रेवल सड़क तक आने जाने हेतु चाहे गये रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता नहीं है प्रस्तावित रास्ता जिसमें किसी प्रकार का निर्माण नहीं किया हुआ है तथा प्रस्तावित रास्ते की चौड़ाई 5 मीटर है चाहे गये रास्ते का क्षैत्रफल खसरा नम्बर 395/355 में रकबा 0.405 हेक्टेयर व खसरा संख्या 356 मे से रकबा 0.405 हैक्टयर बनता है। मौके की जांच का प्रतिवेदन तहसीलदार गिड़ा के माध्यम से प्राप्त हुआ।

तहसील कार्यालय से प्राप्त रास्ता कायम करने के प्रतिवेदन पर वकील प्रार्थी कि बहस सुनी गई, प्रार्थी वकील ने अपने आवेदन के तथ्य दोहराते हुए प्रकट किया कि प्रार्थी अपनी खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 394/355 मे आने–जाने के लिए विप्रार्थी स. 01 से 04 के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 395/355 व विप्रार्थी स. 05 से 11 के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 356 में से होकर 10–10 कुल 20 फीट चौडा रास्ता विप्रार्थी संख्या 01 से 04 व विप्रार्थी संख्या 05 से 11 के खातेदारी खेतों के सेढा सेढ मौका रिपोर्ट में बताये अनुसार नया रास्ता स्थापित करावें। तथा विप्रार्थीगण द्वारा आवागमन में बाधा पैंदा करने पर ही प्रार्थी को विधिनुसार रेकर्ड में रास्ता कायम करने हेतु यह आवेदन पेश करना पडा है, इस रास्ते के अतिरिक्त प्रार्थी के आवागमन हेतु अन्य कोई नजदीकी रास्ता नहीं है। यह भी निवेदन किया है कि अगर प्रार्थी अपने परिवार को अन्यत्र आबाद भी कर दे तो भी प्रार्थी को अपने खेत खसरा नम्बर 394/355 तक तो जाना ही होगा और उसके लिए विकल्प में एक मात्र प्रस्तावित रास्ता ही है। अंत में निवेदन किया कि मौके पर मौका रिपोर्ट अनुसार 5 मीटर चौड़ा (ग्रेवल सड़क से प्रार्थीगण के खेत तक) रास्ता कायम किया जाये, प्रार्थी नियमानुसार मुआवजा राशि [illegible] पर सहमत है।

हमने प्रार्थी के अधिवक्तागण को सुना उनके कथनों पर मनन किया [illegible] पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया । धारा 251 (क) (1) अनुसार जब कोई अभिधारी अपनी [illegible] तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदारो की जोत में से होकर नया मार्ग बनाना चाहता है और मामला [illegible] दारान के मध्य पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो न्यायालय में इस हेतु आवेदन पेश होने पर यह साबित करना आवश्यक है कि प्रस्तावित रास्ते की अत्याधिक आवश्यकता है तथा प्रस्तावित रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2026.02.10 21:17:59 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (SDO)
बायतु

अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम गौगासर के निम्न खसरान में से होकर खसरा नम्बर 394/355 तक पहुंचने हेतु 5 मीटर चौड़ाई रास्ता कायम किया जाता है :—

नाम ग्राम	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रास्ते हेतु प्रस्तावित रकबा
गौगासर	विप्रार्थी संख्या 01 से 04	395/355	0.405 हैक्टेयर
	विप्रार्थी संख्या 05 से 11	356	0.405 हैक्टेयर
योग		02	0.805

उक्त भूमि का प्रतिकर डी.एल सी की दर प्रति हैक्टेयर 1,59,000/— से दुगना देय होगा। तहसीलदार गिड़ा प्रार्थी को रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि यानि 0.805 हैक्टयर की राशि 25758/— तहसील कार्यालय में जमा कराने हेतु सूचित करें तथा प्रतिकर की राशि तहसील कार्यालय में जमा होने पर इस आदेश का भू अभिलेख में अंकन करे तथा प्रतिकर Compensation राशि का नियमानुसार खातेदार विप्रार्थी संख्या 01 से 04 को राशि 12879/— रुपये व विप्रार्थी संख्या 05 से 11 को राशि 12879/— रुपये का हिस्से अनुसार भुगतान करें । तथा तहसीलदार गिड़ा से प्राप्त मौका रिपोर्ट के सलग्न नक्शा आदेश का अभिन्न अगं रहेगा।

आदेश आज दिनांक 08.12.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शूमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर (SDO)
उपखण्ड अधिकारी
बायतु

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु
सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2026.02.10 21:17:59 IST
Reason: SelfAttested